

75/100

I-9544/5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय-पत्रलेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार | : | कृषि |
| 2. | परगना | : | बिजनीर |
| 3. | ग्राम | : | चूल्फ नगर बगियामऊ |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) | : | भूमि खसरा संख्या-245 |
| 5. | मापन की इकाई | : | हेक्टेअर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : | 0.200 हेक्टेअर |
| 7. | सम्पत्ति का प्रकार | : | कृषि |
| 8. | पेड़ों का मूल्यांकन | : | नहीं |



मनेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -

9.	बोर्डिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु० 15,06,700/-
11.	मालियत	:	रु० 2,50,000/-
12.	स्टाम्प	:	रु० 1,50,700/-

चौहद्दी

खसरा न० 245

पूरब	:	खसरा संख्या-250, 249
पश्चिम	:	खसरा संख्या-243
उत्तर	:	खसरा संख्या-244
दक्षिण	:	खसरा संख्या-246, 247

ॐ के शिवाय

गोनेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 3 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	: क्रेता का विवरण
सियाराम पुत्र श्री अबसेरी निवासी - ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	गनेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी- मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट- नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ०प्र०। व्यवसाय - कृषि



गनेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 4 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख सियाराम पुत्र श्री अबसेरी निवासी -
ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व
जिला-लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम गनेश पुत्र
मिश्री लाल, निवासी- मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट- नवगांव,
जिला-फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य
निष्पादित किया गया।

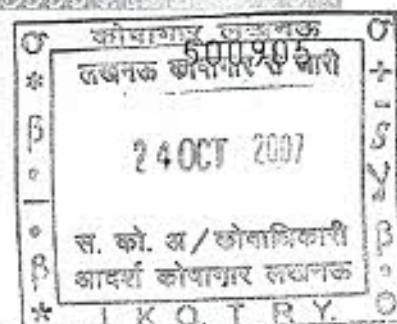


गनेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 5 -



यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या-245 रकबा 0.200 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक कामिल व काबिज हैं षटवार्षिक खतौनी संख्या-00139 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरुत खुद विक्रेता

18/10/2007

गजेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएज मुबलिग रू० 15,06,700/- (रुपया पन्द्रह लाख छः हजार सात सौ मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कबल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व बारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निश्चत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता

दि. २१/१०/१९९१

21/10/91



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।



शनेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-स्वार्जिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, द्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

10-10-2001

5/10/21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

आराजी स्थित ग्राम यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना- बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजार कीमत 12,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.200 हेक्टेअर की मालियत रु0 2,50,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क रु0 1,50,700/- के अदा किये जा रहे है।



21/10/21

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

विक्रेता को रू० 15,06,700/- (रुपया पन्द्रह लाख छः हजार सात सौ मात्र) द्वारा चेक संख्या '599270' दिनांकित 25.10.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 15,06,700/- (रुपया पन्द्रह लाख छः हजार सात सौ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।



गि. २१

1,506,700.00 250,000.00

विक्रय पत्र

5,000.00 40 5,040.00 2,000
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालिक

श्री / श्रीमती सिवाराम

पुत्र / पत्नी श्री अवसेरी

पेशा कृषि

निवासी स्थायी ग्राम यूसफनगर बगियामऊ लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 25/10/2007 समय 6:12PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मि० ५०



एच.के. पाण्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

25/10/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व रागझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती सिवाराम

पुत्र/पत्नी श्री अवसेरी

पेशा कृषि

निवासी ग्राम यूसफनगर बगियामऊ लखनऊ

मि० ५०



क्रेता

श्री/श्रीमती गनेश

पुत्र/पत्नी श्री मिश्रीलाल

पेशा कृषि

निवासी गिर्जापुर गिटारी जि. फतेहपुर

गनेश



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री पंकज पाठक

पुत्र श्री हरिशंकर पाठक

पेशा व्यापार

निवासी लालबाग, लखनऊ

व श्री अरवि कुमार

पुत्र श्री राम चन्दर

पेशा व्यापार

निवासी अर्जुनगंज, लखनऊ

ने की।

पंकज पाठक



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के. पाण्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

25/10/2007

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने
हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट:- पृष्ठ संख्या-10 पर चेक संख्या काले पेन से लिखी गयी है।
दिनांक: 25.10.2007

लखनऊ

गवाहान:-

1. पंकज पाठक
S/o- हरि शंकर पाठक
लखनऊ-लखनऊ


कि. क. मिश्रा
विक्रेता

2. रवि कुमार पाठक
अभिनेता जिला नर

गोपेश
क्रेता

टाईपकर्ता:


(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:


(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट,

पिकेता

Registration No 9544

Year : 2007

Book No. 1

0101 सियाराम

अबसेरी

ग्राम गूसपालनगर बगियामल लखनऊ

कृषि



रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्टर्स

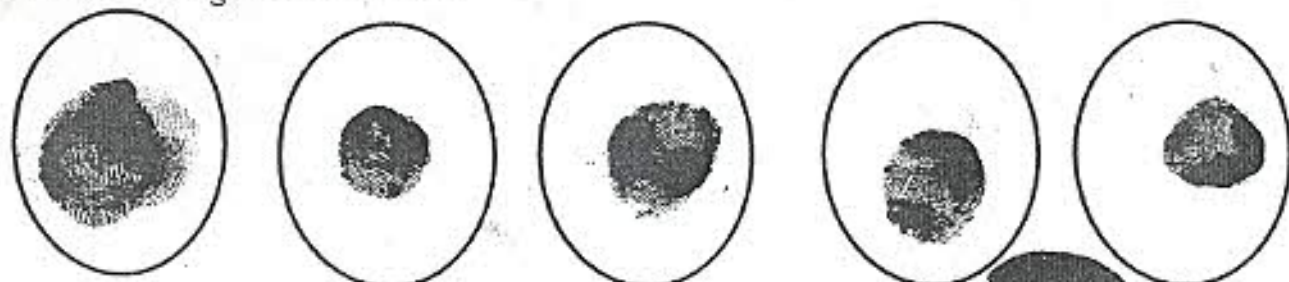
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- सिमादाम पुर अवध

सिमादाम पुर अवध

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- सिमादाम पुर अवध

सिमादाम पुर अवध

बायें हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



सिमादाम
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 9544

Year : 2007

Book No. 1

0201 गनेश
मिश्रीलाल
मिर्जापुर मिटारी जि.फतेहपुर
कृषि



नक्शा नजरी

ग्राम : ~~खसरा~~ बरिधाम

खसरा संख्या- 248

विक्रेता : नरसिंहराज

क्रेता : गनेश

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण



कि. ३० / नरसिंहराज

गनेश

आज दिनांक 25/10/2007 को
वही सं 1 जिल्द सं 8671
पृष्ठ सं 27 से 52 पर क्रमांक 9544
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के. पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
25/10/2007